



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 13.01.23

**स्वाट टीम, क्राईम ब्रॉन्च कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा रू0 25000/- का वाँछित/इनामी
अपराधी गिरफ्तार**

थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1512/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी निवासी ग्राम गड़वारा थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000/-रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

दिनांक-13/01/2023 को क्राईम ब्रॉन्च कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना इन्दिरापुरम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के मु0अ0सं0-1512/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में वाँछित एंव रू0 25000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी निवासी ग्राम गड़वारा थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सुनील कुमार यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी निवासी ग्राम गड़वारा थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़

अभियोग का विवरण-

अभियुक्त पूर्व से मु0अ0सं0-1512/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्दिरापुरम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में वाँछित एंव रू0 25000/- का पुरस्कार घोषित / वाँछित अपराधी है।

आपराधिक इतिहास-

- (1) मु0अ0सं0 1512/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (2) मु0अ0सं0 289/22 धारा 67 आईटी एक्ट थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (3) मु0अ0सं0 301/22 धारा 67 आईटी एक्ट थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (4) मु0अ0सं0 303/22 धारा 66डी आईटी एक्ट थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (5) मु0अ0सं0 425/22 धारा 384,420,467,468,471,120बी भादंवि व 66डी/67/67ए आईटी एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (6) मु0अ0सं0 756/22 धारा 309,384,420,467,468,471,504,507,354सी,120बी,34 भादंवि व 66डी/67/67ए आईटी एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (7) मु0अ0सं0 760/22 धारा 309,384,420,467,468,471,504,507,354सी,120बी,34 भादंवि व 66डी/67/67ए आईटी एक्ट थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद
- (8) मु0अ0सं0 1042/22 धारा 384,120बी भादंवि थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद

(9) मु0अ0सं0 1423/22 धारा 660 आईटी एक्ट थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान वाहनों की बैटरी व टायर चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 13.01.2023 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान सै0- 2/5 की पुलिसिया वैशाली के पास से तीन अभि0गण 1.सुधीर कुमार पुत्र गुलबीर सिंह निवासी चंद्र लक्ष्मी अस्पताल रोड पुराना बिजलीघर टूटी बिल्डिंग सेक्टर-4 वैशाली, थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी-ग्राम सरकोरिया थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश उम्र करीब-23 वर्ष 2.राजकुमार पुत्र शत्रुघ्न निवासी-हाल किराएदार मकान नंबर-923 द्वितीय तल सेक्टर-3F वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी- गुवाहाटी आसाम उम्र-22 वर्ष 3.बलजीत पुत्र रंजीत सिंह निवासी हाल किराएदार मकान नंबर-908 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 3 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी उदयपुर मेरठ उत्तर प्रदेश उम्र-21 वर्ष को चोरी किये हुये 01 अदद बैटरी व 03 अदद टायर (फोर व्हीलर) सहित गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण: -

- 1.सुधीर कुमार पुत्र गुलबीर सिंह निवासी चंद्र लक्ष्मी अस्पताल रोड पुराना बिजलीघर टूटी बिल्डिंग सेक्टर-4 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी-ग्राम सरकोरिया थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ उम्र 23 वर्ष ।
- 2.राजकुमार पुत्र शत्रुघ्न निवासी-हाल किराएदार मकान नंबर-923 द्वितीय तल सेक्टर-3F वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी- गुवाहाटी असम उम्र-22 वर्ष ।
- 3.बलजीत पुत्र रंजीत सिंह निवासी हाल किराएदार मकान नंबर-908 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 3 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल निवासी उदयपुर मेरठ उत्तर प्रदेश उम्र-21 वर्ष ।

अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 25/23 धारा 414 भादवि थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गा0बाद ।
 2. मु0अ0सं0 707/22 धारा 379/411 भादवि थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गा0बाद ।
 3. मु0अ0सं0 722/22 धारा 379/411 भादवि थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गा0बाद ।
- व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद बैटरी
2. 03 अदद टायर (फोर व्हीलर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 32 पच्चे नाजायज देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

थाना ट्रोनिका सिट टीम द्वारा दिनांक -13.01.2023 को दौराने चैकिंग समय करीब 05.25 बजे विजय विहार में भूमिया मन्दिर से मण्डी ग्राउण्ड की ओर करीब 40 कदम की दूरी पर हल्का चौकी क्षेत्र विजय विहार पुस्ता से एक नफर अभि० समीर पुत्र इशरार निवासी ई-ब्लाक मकान नं-1090 गली नं० 6 थाना खजूरी खास दिल्ली उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम गिनौर, जिला बदायूँ को गिरफ्तार किया गया है | जिसके कब्जे से कुल 32 पच्चा नाजायज देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद होना ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. समीर पुत्र इशरार निवासी ई-ब्लाक मकान नं-1090 गली नं० 6 थाना खजूरी खास दिल्ली उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम गिनौर , जिला बदायूँ ।

बरामदगी का विवरण-

कुल 32 पच्चा नाजायज देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद होना

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु०अ०स० 026/23 धारा 60/63 आबकारी अधि०

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० अरुण कुमार सिंह

है०का० 2280 जगत सिंह

एक जिला बंदर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.01.2023 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा समय करीब 02.53 बजे में दौराने चैकिंग थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा जिला बंदर अभियुक्त संजय हलवाई पुत्र डोरी लाल निवासी आदर्श नगर खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को अपर जिला अधिकारी गाजियाबाद द्वारा 6 माह का जिला बंदर का नोटिस दिनांक 04.12.2022 को बजात खास तामील कराया गया था जिसके उल्लंघन करने के सम्बन्ध मे अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

संजय हलवाई पुत्र डोरी लाल निवासी आदर्श नगर खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	456/2021	147,452,323,504,506,427 भादवि	खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद
2	107/2022	354,323,504,506,354ख भादवि	खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद
3	032/23	4/10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम	खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम
थाना खोडा टीम द्वारा